राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 8/15/अपील

कालूराम पुत्र स्व. श्री नुन्दाराम आयु 48 साल जाति कुमावत निवासी दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

ब ना म

1. ग्राम पंचायत दांतारामगढ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. भंवर लाल पुत्र स्व. श्री नुन्दाराम
3. लालचन्द पुत्र स्व. श्री नुन्दाराम
4. जमना देवी पुत्री स्व. श्री नुन्दाराम
5. सीतादेवी पुत्री स्व. श्री नुन्दाराम
6. सुगनादेवी पुत्र स्व. श्री नुन्दाराम

(2 से 6) समस्त जाति कुमावत निवासी दांतारामगढ जिला सीकर

7. तहसीलदार, तहसील दांतारामर्गढ जिला सीकर

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 465 दिनांक 12.09.1977

जरिये ग्राम पंचाचत, दांतारामगढ

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील अपीलांट की ओर से
2. श्री शंकर लाल वकील रेस्पो. सं. 2 ता 6 की ओर से

निर्णय दिनांक—03.07.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित कृषि आराजियात खसरा नं. पुराने 460/2 जिसके नये खसरा नं. 188, 189, 267 ता 271 किता 7 कुल रकबा 9.62 है0 वाके ग्राम दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उपरोक्त भूमियां अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 2 ता 6 की पैत्रिक कृषि भूमियां है जो इनके पिता स्व. नुन्दाराम की मृत्यु उपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 2 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। स्व. नुन्दाराम 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार रहे जिसकी मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत, दांतारामगढ द्वारा नुन्दा के हि. 1/3 की खातेदारी मृतक नुन्दाराम के बड़े लड़के भंवरलाल अकेले के नाम जरिये ना.करण सं. 465 दिनांक 12.9.1977 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जबकि मृतक नुन्दाराम के वैधानिक वारिस अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 2 ता 6 है तथा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मृतक नुन्दाराम के हक हिस्से एवं खातेदारीशुदा भूमि में बराबर के हकदार है। अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 3 ता 6 को उक्त ना.करण की जानकारी पूर्व में नहीं हुई। अब जैसे ही उक्त गलत एवं विधि विरूद्ध ना.करण की जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा श्रीमान् के यहां ना.करण सं. 465 दिनांक 12.9.1977 को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की जा रही है। रेस्पो. सं. 2 अपीलांट के परिवार में सबसे बड़ा एवं कर्ता खानदान व्यक्ति है तथा अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 3 ता 6 अपने पिता नुन्दाराम के स्वर्गवास के समय नाबालिग अवस्था में थे इसलिए रेस्पो. सं. 2 ने ग्राम पंचायत, दांतारामगढ से साजकर गुप चुप में अपने अकेले के नाम विरासत का ना.करण गलत रूप से तस्दीक करवा दिया। ग्राम पंचायत, दांतारामगढ द्वारा ना.करण की कार्यवाही करने से पूर्व मृतक नुन्दाराम के सभी वैधानिक वारिसों को किसी प्रकार की कोई सूचना जारी नहीं की गई। ना.करण की कार्यवाही मनमर्जी एवं पक्षपातपूण्र तरीके से विधि विरूद्ध एकपक्षीय रूप से की गई है। अपीलांट को उक्त गलत ना.करण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई, परन्तु दिनांक 12.05.2015 को अपनी उक्त पैत्रिक भूमि पर किसान केडिट कार्ड के तहत ऋण हेतु आवेदन करने के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त की तथा उसमें अकेले रेस्पो. सं. 2 भंवर लाल का नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर तहसील कार्यालय से अपने पिता नुन्दाराम के विरासत का ना.करण सं. 465 दिनांक 12.09.1977 की नकल दिनांक 15.05.2015 को प्राप्त करने पर उक्त गलत ना0करण भरे जाने की जानकारी हुइ इसलिए उक्त ना.करण के खिलाफ न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत करना लाजिम आया है। जिसके लिए दफा 5 अवधि अधिनियत का आवेदन पृथक से पेश किया जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि ना.करण सं. 465 दिनांक 12.09.1977 जरिये सरपंच, दांतारामगढ को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ को मृतक नुन्दाराम के सभी वैधानिक वारिसान की समुचित सुनवाई कर पुनः नियमानुसार ना. करण खोलने के आदेश फरमाने की कृपा करें। अपील मेमो के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि ना.करण सं. 465, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2066–69, जमाबंदी संवत् 2051–70, जमाबंदी संवत् 2036–39, जमाबंदी संवत् 2028–31, जमाबंदी संवत् 2022–25, जमाबंदी संवत् 2014–17, जमाबंदी संवत् 2020–23 पेश की गई।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 व 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 2 ता 6 की ओर से वकील श्री शंकर लाल ने वकालत नामा पेश किया एवं जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया गया।

3. बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 2 ता 6 ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विवादित ना.करण

सं. 465 निरस्त करवाया जाकर मृतक मुन्दाराम के वैधानिक वारिसान के नाम पुनः ना. करण तस्दीक किये जाने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भिजवाया जावें।

4. हमने वकलाए फरीकैन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 465 दिनांक 12.09.1977 द्वारा ग्राम पंचायत, दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा अकेले भंवरलाल पुत्र स्व. मुन्दा हि. 1/3 भरा गया है। अपीलांट द्वारा स्व. मुन्दाराम के अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 2 ता 6 वैधानिक वारिस बताकर आये है। जिस पर वकील रेस्पो. सं. 2 ता 6 ने कोई एतराज नहीं किया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील विलम्ब के समय को कन्डोन किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 465 दिनांक 12.09.1977 बतस्दीक ग्राम पंचायत, दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक मुन्दाराम के वैधानिक वारिसान की समुचित जांच कर विरासत का ना.करण पुनः भरवाकर तस्दीक करें। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़